पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 9868711893, 9414040403, 9414068780, 9414023964

E-mail:abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com, Website: **www.abrsm.in**

ABRSM

क्रमांक : महा. 10 /विक्रम संवत 2072 दिनांक : 20.08.2015

शिक्षा नीति सम्बन्धी कतिपय सुझाव

आज भारत की शिक्षा व्यवस्था अनेक झंझावातों एवं चुनौतियों से त्रस्त है। हमारे देश की वर्तमान शिक्षा की न तो कोई स्पष्ट दृष्टि है और न ही कोई आत्मा। यह न तो मानव के निर्माण की सुदृढ़ नींव ही डाल रही है और न ही रोजगार का सशक्त विकल्प प्रस्तुत कर रही है। शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा के मूल उद्देश्य विमुक्ति, शील एवं साधना पूरी तरह से गायब हैं। सृजनात्मकता, नवाचार एवं शोध विलुप्त हो रहे हैं एवं हम एक घिसी-पिटी व्यवस्था एवं पाश्चात्य देशों के अनुकरण में लगे हुए हैं। न तो शिक्षा सभी को सुलभ है और न ही सभी की पहुँच के अन्दर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक सपना ही रह गया है और वर्तमान शिक्षा मात्र सूचनाएँ प्रदान करने का साधन बन कर रह गई है। शिक्षा में न तो स्वायत्तता है और न ही अनुशासन। इन सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक समग्र शिक्षा नीति की आवश्यकता है। कतिपय सुझाव निम्नलिखित हैं :-

शिक्षा की दृष्टि (Vision)

लम्बे समय से हम शिक्षा को खण्ड-खण्ड में बाँटकर देख रहे हैं, परिणामस्वरूप हमारी सृजनात्मकता एवं कल्पनाशक्ति का ह्रास हुआ है और विद्यार्थी की अन्तर्निहित बुद्धिमता को नुकसान हुआ है। हमें शिक्षा को दीर्घकालीन दिशा देने के लिए समग्र शिक्षा के भारतीय दृष्टिकोण को स्वीकार करना होगा। जिसमें मानव निर्माण के लिए सभी को सुलभ एवं समर्थ, मूल्य आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, शैक्षणिक उत्कृष्टता, नैतिकता, नवाचार, शोध को प्रोत्साहन देने, समाज एवं उद्योग के साथ जुड़ने एवं पारदर्शी, उत्तरदायी, उद्देश्यात्मक, न्यायपूर्ण एवं प्रभावी प्रबन्धन को सम्मिलित करना होगा। शिक्षा छात्रों में जिज्ञासा पैदा करे, शील का निर्माण करे, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करे तथा सम्मानजनक तरीके से स्वयं एवं परिवार का भरण पोषण कर सके।

शिक्षा का नियोजन (Planning)

हमारे देश में शिक्षा के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं सुदृढ़ नियोजन का नितान्त अभाव है। भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन किये बिना विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय प्रारम्भ किये जा रहे हैं जिनमें अनेक प्रकार की विकृतियाँ देखने को मिल रही है। अच्छे प्रबन्धन के लिए नियोजन की महती आवश्यकता है जिसमें निम्न नियोजनों को सम्मिलित करना होगा।

1. **विकास एवं विस्तार**- गत वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में हुआ विस्तार पूरी तरह से अनियन्त्रित एवं असंतुलित रहा है। पिछले वर्षों में निजी क्षेत्र के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के अनियोजित प्रवेश ने अनेक प्रकार के संकटों एवं घपलों को जन्म दिया है और गुणवत्ता एवं नैतिकता हासिये पर आ गई है। इसके लिए दीर्घकालीन विस्तार एवं ढाँचागत सुविधाओं की योजना का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। गैर नियोजित विस्तार से गुणवत्ता में कमी आयेगी और असंतुलन बढ़ेगा।
2. **मानवीय संसाधन**- आज शिक्षा क्षेत्र में मानवीय संसाधनों की स्पष्ट योजना की आवश्यकता है जिससे आने वाले समय में कितने एवं किस प्रकार के शिक्षकों की आवश्यकता होगी उनका सही अनुमान लगाकर उनकी व्यवस्था करने के उपाय सुनिश्चित किये जाएँ। इसमें उत्कृष्ट संकाय विकास के लिए गम्भीर प्रयासों को सम्मिलित करना होगा। वर्तमान में चल रही संविदा व अस्थायी व्यवस्था पर भी इससे अंकुश लगेगा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाना सम्भव होगा।
3. **वित्तीय संसाधन**- शिक्षा के तन्त्र को चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी और वे वित्तीय साधन कैसे उपलब्ध कराये जा सकेंगे इसकी पूर्व तैयारी आवश्यक है। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के सार्वजनिक खर्च में तो बढ़ोतरी करनी ही

होगी, साथ ही पूंजी लगाने के संस्थागत तंत्र को भी विकसित करना होगा। इसके अलावा पूर्व छात्रों का समुचित उपयोग, अनिवासी भारतीयों का योगदान, अन्तर संस्थागत सहयोग, सामाजिक सहयोग, दानदाताओं के स्त्रोतों का भी उपभोग एवं उपयोग करने की आवश्यकता होगी। उद्योग जगत को शिक्षा विकास के लिए सी.एस.आर. के एक हिस्से के योगदान हेतु भी कहा जा सकता है।

4. **शैक्षणिक नियोजन**- शैक्षणिक श्रेष्ठता के लिए पाठयचर्या एवं पाठयक्रमों का निर्धारण राष्ट्रीय एवं वैश्विक दृष्टि, समाज तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना आवश्यक है। यह छात्र केन्द्रित होना चाहिए।

प्रशासनिक ढाँचा (Administration)

शिक्षा के प्रभावी प्रबन्धन के लिए शिक्षण संस्थाओं के प्रशासनिक ढाँचे में ठोस परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। शिक्षा का वर्तमान संचालन तंत्र पूरी तरह से अप्रभावी है और पारदर्शिता एवं जवाबदेही का नितान्त अभाव है। ये संस्थाएँ नौकरशाही, लालफीताशाही, तानाशाही एवं राजनैतिक हस्तक्षेप की भी शिकार हैं। हमें एक जवाबदेह, पारदर्शी एवं जिम्मेदार संगठन संरचना की आवश्यकता है जो पूर्णरूपेण नौकरशाही के हस्तक्षेप से मुक्त हो और पेशेवर योग्य शिक्षकों के हाथों में हो। भारतीय शिक्षा सेवा का गठन करना इसके लिए आवश्यक रहेगा।

स्वायत्तता (Autonomy)

प्राचीन समय में भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु हुआ करता था और देश की अनेक शिक्षण संस्थाएँ ज्ञानपीठ के रूप में विश्वविख्यात थी। ये संस्थाएँ बाह्य नियन्त्रण से पूर्ण रूपेण मुक्त थी और इसी कारण ये संस्थाएँ उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल कर पाई थी। शिक्षण संस्थाओं की शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने, श्रेष्ठता का उच्च मानदण्ड स्थापित करने एवं शिक्षा को सर्वसमावेशी बनाने के लिए संस्थाओं को खुले वातावरण में कार्य करने की आजादी प्रदान करनी होगी। शिक्षण संस्थाओं का पाठ्यक्रम निर्माण, मूल्यांकन, अध्ययन सामग्री, विद्यार्थी प्रवेश, अनुसंधान इत्यादि में शैक्षणिक स्वायत्तता तथा मानव संसाधन प्रबन्धन, क्रियान्वयन, नियन्त्रण में प्रशासनिक स्वायत्तता और अपने बजट प्रबन्धन में स्वायत्तता होनी चाहिए। हमें संतुलित स्वायत्तता की अवधारणा को स्वीकार करना होगा। जिसमें ऐसे अंकुश अवश्य लगाये जा सकते हैं जिनसे निरंकुशता न आये एवं मूल उद्देश्य से हम भटकें नहीं। इसके लिए सुदृढ़ मानक निर्धारित किये जा सकते हैं।

नियामक तंत्र (Regulatory Mechanism)

सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था के नियमन के लिए चुनाव आयोग, बीमा क्षेत्र तथा उच्चतम न्यायालय की तर्ज पर एक स्वायत्त शिक्षा आयोग का गठन किया जाये जो शिशु शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और शोध कार्य तक के लिए मार्गदर्शन, प्रबन्धन तथा मूल्यांकन का कार्य करे। यह पूर्णरूपेण नौकरशाही एवं राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो। प्रदेश स्तर पर भी इसी प्रकार के शिक्षा आयोगों का गठन किया जाना होगा।

विषय सामग्री (Course Contents)

विषय सामग्री का चयन मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जाये जो विद्यार्थी की अर्न्तनिहित क्षमताओं का विकास करे, ज्ञान में अभिवृद्धि करे तथा कुशलताओं का विकास करे। मानव निर्माण करने में यह सक्षम हो इसलिए इसमें भारतीय दृष्टिकोण को आधार बनाना होगा। पाठ्यक्रमों में कौशल विकास समावेशित हो और व्यावहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान हो। पाठ्यचर्या में राष्ट्रभक्ति, संस्कृति, सामाजिक चेतना, पर्यावरण, स्वास्थ्य, समाजसेवा, नैतिक शिक्षा आदि को सम्मिलित किया जाये। इस पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यपुस्तकों का निर्माण कराया जाना चाहिए।

शोध एवं नवाचार (Research and Innovation)

विद्यालय स्तर से उच्च स्तर तक शोध एवं नवाचार की पूर्ण स्वतन्त्रता हो एवं इसे प्रोत्साहित किया जाये। इसके लिए देश में उत्कृष्ट स्तर की शोध एवं नवाचार कार्यशालाएँ स्थापित हों और वे सभी शोधकर्ताओं की पहुँच में हों। शोध व्यावहारिक एवं समाजोपयोगी हो। शोध के प्रोत्साहन के लिए लम्बी अवधि की ठोस व्यूहरचना बने।

आचार्य प्रशिक्षण (Teachers Training)

शिक्षकों एवं आचार्यों की प्रशिक्षण की गुणात्मक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है। ऐसी प्रशिक्षण व्यवस्था जो

शिक्षक में शिक्षण प्रवृति का विकास करे एवं नवीनतम ज्ञान का पोषण करे। इसके लिए आधुनिकतम शिक्षण तकनीकों को अपनाना होगा।

व्यापारीकरण (Commercialization)

शिक्षा का व्यावसायीकरण न हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा के व्यापारीकरण पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षा पर केन्द्र सरकार को सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत एवं राज्य सरकारों को अपने बजट का 30 प्रतिशत खर्च शिक्षा पर करने की आवश्यकता है।

भाषा (Language)

प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाये क्योंकि बालक अपनी मातृभाषा को जल्दी सीखता है। आगे अन्य भाषाओं को सीखने का व्यापक विकल्प दिया जाना चाहिए।

शिक्षा का समाज एवं उद्योग से जुड़ाव (Social Engagement)

आज भी हमारे देश में उद्योग जगत एवं शैक्षणिक संस्थाओं, शोध एवं सामाजिक आवश्यकताओं, शोधकर्ताओं एवं शैक्षणिक संस्थानों के मध्य विचार विमर्श एवं सहभागिता का पूर्णतया अभाव है। इसके लिए उद्योग, समाज एवं शैक्षणिक संस्थाओं के शोध एवं अन्य कार्यों में परस्पर सहयोग की सतत् प्रक्रिया प्रारम्भ करनी होगी। विभिन्न उद्योगों एवं सामाजिक संस्थाओं को अपने उत्पादन के सम्बन्ध में शोध एवं अनुसंधान करने, उनके मानवीय संसाधन-विकास एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम अपने हाथ में लेने, संस्था के प्रबन्धन की नवीन व्यूह रचना तैयार करने तथा सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे शिक्षण संस्थानों में उत्कृष्टता आयेगी और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों के वित्तीय संसाधन भी बढ़ेंगे।

मूल्यांकन (Evaluation)

भारत में रोग ग्रस्त शिक्षा को पुनर्जीवित करने, विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, शैक्षणिक सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था का निरन्तर मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सुदृढ़, पारदर्शी एवं सतत् मूल्यांकन व्यवस्था स्थापित करनी होगी। सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए प्रत्यायन आवश्यक हो। प्रत्येक विद्यमान संस्था का तीन वर्ष में एक बार आवश्यक रूप से निर्धारित मानदण्डों के आधार पर प्रत्यायन किया जाये। इसके अलावा प्रत्येक नवीन स्थापित होने वाली संस्था का छात्रों के प्रवेश के पूर्व प्रत्यायन आवश्यक हो। मूल्यांकन का कार्य पारदर्शी हो तथा केन्द्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन एजेन्सी के साथ-साथ प्रत्येक राज्य में भी राज्य स्तरीय इस प्रकार की स्वायत्त एजेन्सी हो। मूल्यांकन का सम्पूर्ण परिणाम ऑनलाइन हो और उसमें सुधार के कदम उठाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम हो। मूल्यांकन एजेन्सी का मजबूत तन्त्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता है जो विभिन्न विशेषज्ञों एवं सुप्रसिद्ध शिक्षाविदों से युक्त होना चाहिए और जिसे मूल्यांकन सम्बन्धी अन्तिम अधिकार प्राप्त हो। इसके अलावा संस्थाओं के वित्तीय अंकेक्षण एवं कार्यनिष्पादन अंकेक्षण की सुदृढ व्यवस्था स्थापित रखनी होगी। सभी शिक्षण संस्थाओं में सॉट विश्लेषण (SWOT) व्यवस्था लागू की जाये ताकि संस्थाएँ स्वयं नियन्त्रित करने के प्रति जागरूक हो सकें।

प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल
महामंत्री